सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

मूल विधि एवं भारतीय संविधान

(UPSI , MPSI , Rajasthan SI एवं अन्य राज्य पुलिस परीक्षाओं के लिए उपयोगी)

परीक्षा में सफलता की राह हुई आसान !

सरल भाषा में तैयार इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने के बाद आप परीक्षा में इस विषय के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे !

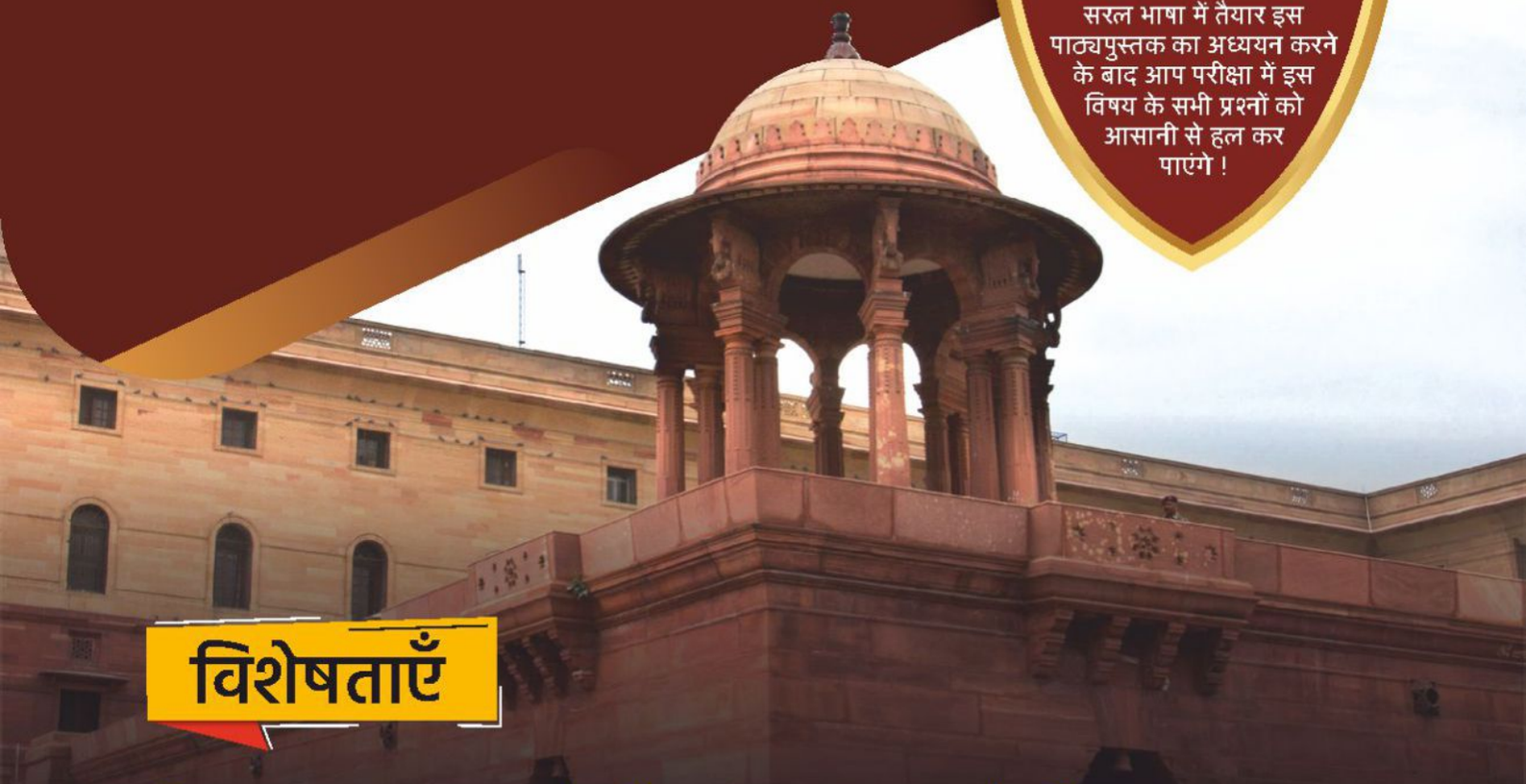

विशेषताएँ

- पाठ्यक्रम एवं वर्ष 2021 और अन्य विगत प्रश्न-पत्रों में पूछे गए सभी प्रश्नों से सम्बंधित थ्योरी का समावेश
- भारतीय दंड संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों के नवीनतम संशोधनों का समावेश
- अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्नों का समावेश

Code	Price	Pages	ISBN
CB1030	₹ 179	178	978-93-5561-535-0

विषय सूची

Exam Information, Preparation Strategy and Current Affairs	*पृष्ठ संख्या*
⊙ **Agrawal Examcart Help Centre**	**vii**
⊙ **Student's Corner**	**viii**
मूलविधि	**1-178**

(खण्ड क)

1. भारतीय दण्ड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता **1-33**

- विधि का शासन
- विधि निर्माण
- भारत में विधि (दण्ड संहिता) के शासन का इतिहास
- भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अधिनियम संख्यांक-45
- मिथ्या साक्ष्य और लोक–न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में
- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
- मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
- सदोष अवरोध और परिरोध
- व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम, परिरोध
- प्रकृति–विरुद्ध अपराधों के विषय में
- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
- लूट और डकैती के विषय में
- मानहानि के विषय में
- आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में
- अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में
- भा. द. सं., 1860 की महत्वपूर्ण धाराएँ : एक दृष्टि में
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2)
- द. प्र. सं., 1973 प्रमुख धाराएँ : एक दृष्टि में

2. महिलाओं, बालकों तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी प्रावधान **34-44**

- महिला संरक्षण : विधिक प्रावधान
- अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान

3. मानवाधिकार संरक्षण **45-49**
   - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन [धारा 3]
   - राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियाँ
   - राज्य मानवाधिकार आयोग
   - मानवाधिकार न्यायालय
4. यातायात नियम एवं पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण **50-63**
   - मोटर वाहन अधिनियम, 1988
   - मोटर वाहन दण्ड अधिनियम, 2019
   - 2019 में भारत में यातायात उल्लंघन होने पर जुर्माना राशि या चालान–मोटर यान (संशोधन) विधेयक–2019
   - महत्वपूर्ण बिन्दु
   - पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण
5. आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम **64-73**
   - आयकर अधिनियम, 1961
   - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
6. भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू–राजस्व सम्बन्धी विधियाँ **74-93**
   - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013
   - उ. प्र. जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1950
   - उ. प्र. भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम, 1950
   - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में (उचित प्रतिकर और पारदर्शिता) का अधिकार अधिनियम, 2013
   - उ.प्र. भू राजस्व संहिता, 2006
   - महत्वपूर्ण बिन्दु
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, आई.टी. अधिनियम एवं साइबर अपराध **94-106**
   - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
   - स्मरणीय तथ्य
8. उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सम्बंधित अधिनियम **107-115**
   - उत्तर प्रदेश पुलिस
   - अपराध तथा पुलिस
   - पुलिस अधिनियम, 1861
   - उ. प्र. पुलिस अधिनियम, 1861 में संशोधन

- महत्वपूर्ण धाराएँ : एक दृष्टि में
- पुलिस का अर्थ और परिभाषा
- पुलिस व्यवस्था का विकास
- पुलिस का कार्यात्मक संगठन
- समाज और पुलिस
- कानून व्यवस्था और पुलिस
- भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ
- जनहित वाद या लोकहित वाद
- कुछ महत्वपूर्ण जनहित वाद
- महत्वपूर्ण बिन्दु

9. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 **116-122**
- परिचय
- परिभाषा
- महत्वपूर्ण बिन्दु

10. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं उत्तराधिकार अधिनियम एवं मुस्लिम स्वीय (निजी) विधि **123-138**
- हिन्दू विवाह
- दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण
- विवाह की अकृतता और तलाक
- क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया
- व्यावृतियाँ और निरसन
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 30)
- निर्वसीयती उत्तराधिकार साधारण
- उत्तराधिकार से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध
- राजगामित्व
- वसीयती उत्तराधिकारी
- अनुसूची
- मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937
- (1737 का अधिनियम संख्यांक 26)

11. जनहित याचिका, लोक अदालत तथा महत्वपूर्ण वाद/न्यायिक निर्णय **139-149**
- पीआईएल की विशेषताएँ
- पीआईएल के तहत किस प्रकार के मामले स्वीकार किए जा सकते हैं।

- निम्नलिखित कोटियों के अन्तर्गत आने वाले मामले पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं होंगे
- जनहित याचिका के सिद्धान्त
- जनहित याचिका संस्थापित करने सम्बन्धित दिशा–निर्देश
- जनहित याचिका सम्बन्धी तथ्य
- भारत में योजितवाद और उनसे सम्बन्धित विषय
- महत्वपूर्णवाद और न्यायालय के निर्णय
- लोक अदालत

12. विविध 150-155

(खण्ड ख)

1. भारतीय संविधान 156-178

- भारतीय संविधान का निर्माण
- प्रारूप समिति के सदस्य
- संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष
- भाग-I : संघ और राज्य क्षेत्र
- भाग-II : भारतीय नागरिकता
- भाग-III : मौलिक अधिकार
- भाग-IV : राज्य के नीति–निर्देशक तत्त्व
- मौलिक कर्त्तव्य
- संघीय कार्यपालिका
- भारत की संसद
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्य विधायिका
- राज्य कार्यपालिका
- भारतीय न्यायपालिका
- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
- स्थानीय स्वशासन
- निर्वाचन आयोग
- भारत का नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक
- संघ लोक सेवा आयोग
- प्रमुख संविधान संशोधन

अध्याय 1
भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता

विधि का शासन (Rule of Law)

भारत में सांविधानिक व्यवस्था के साथ ही विधि के शासन को स्वीकार किया गया है जिसके तहत 'विधि के समक्ष समता' लोगों का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद–14) है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उपबन्ध– "राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

निश्चित रूप से समानता और विधि के समान संरक्षण की धारणा राजनीतिक लोकतन्त्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपनी परिधि में ले लेती है।

'विधि के समक्ष समता' के सिद्धान्त को इंग्लैण्ड के दार्शनिक 'डायली' ने प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य सामाजिक विषमताओं को दूर कर सभी व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करना था।

स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के सम्यक् मूल्यांकन के लिए विधि के समक्ष समता विधि सम्मत शासन की धारणा से परस्पर सम्बन्धित है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि के ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो सामान्य विधि के अधीन है और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अन्तर्गत है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह प्रधान मन्त्री से लेकर सामान्य कृषक कोई ही क्यों न हो, यदि कोई कार्य विधिक औचित्य के बिना करता है तो वह उस कार्य के लिए स्वयं से उत्तरदायी होगा। इस बाबत अधिकारियों और प्राइवेट नागरिकों में कोई विभेद नहीं है।

विधि के समान संरक्षण से अभिप्रेत है "सभी लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी अर्थात् समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा....." समान संरक्षण एवं सुविधाएँ और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किये जाने की अपेक्षा करता है।

विधि निर्माण

भारतीय संविधान ने विधि निर्माण का कार्य विधायिका को सौंपा है जो सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए यथा समय, यथा आवश्यक विधि का निर्माण करती है जिसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका को सौंपा गया है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण दिया गया है। अतः न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि का पुनरावलोकन कर सकती है कि 'निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं'। न्यायपालिका विधि को उस सीमा तक विधि को अविधिमान्य घोषित कर सकती है जिस सीमा तक वह विधि संविधान का उल्लंघन करती है।

विधि के प्रकार

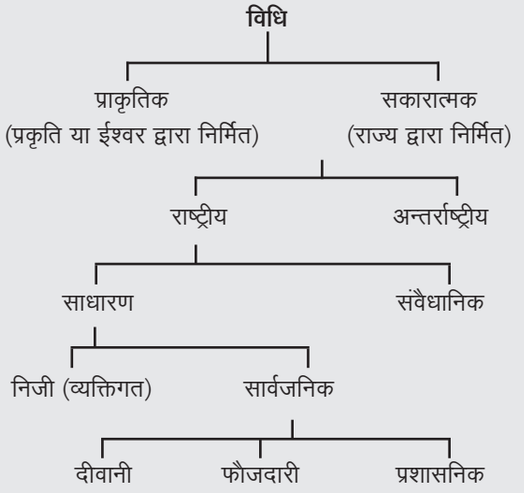

भारत में विधि (दण्ड संहिता) के शासन का इतिहास

भारत में विधि का इतिहास अति प्राचीन है जिसका उल्लेख विविध प्राचीन ग्रन्थों में विस्तृत मिलता है। **डॉ. पी. के. सेन** प्रख्यात दण्डशास्त्री के विचार "मनु और आचार्य कौटिल्य के समय में भारत में एक सुविकसित न्याय व्यवस्था प्रचलन में थी। राजा पर हिन्दू शासन काल में न्याय व्यवस्था या दण्ड व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व हुआ करता था। अपराधियों को दण्ड देना राजा का ही कर्त्तव्य हुआ करता था। भारतीय प्राचीन दण्ड व्यवस्था में मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर विशेष बल दिया जाता था और उस समय अपराध को पाप समझा जाता था। दण्डनीति के अन्तर्गत दण्ड शास्त्र को सामाजिक सुरक्षा का साधन माना गया है। अतः दण्ड स्वयं लक्ष्य न होकर साधन मात्र था, जिसका उद्देश्य सामाजिक शान्ति बनाए रखना था। अतः विद्वान **'मेन'** का यह कथन कि, "भारतीय विधि मुख्यतः बदले की विधि है" सत्य नहीं। उस समय दण्ड व्यवस्था में चार प्रकार के दण्ड दिये जाने का प्रावधान था, यथा–(i) वाक् दण्ड (ii) चेतावनी, (iii) अर्थ दण्ड, (iv) कारावास, बन्दीकरण तथा प्राणदण्ड।

प्रथम अपराध करने वाले को वाक् दण्ड दिया जाता था। हत्या जैसे अपराध के निमित्त प्राणदण्ड का प्रावधान था। जारता सम्बन्धी अपराध यथा–किसी स्त्री से आलिंगन करना, बुरे विचार से एकान्त में ले जाना आदि जारता के गम्भीर स्वरूप माने जाते थे जिनके लिए आर्थिक दण्ड का प्रावधान था। शील भंग करने के लिए दोषी व्यक्ति का गुप्तांग काट लिया जाता था तथा उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। अपराधियों के दोषी होने अथवा निर्दोष होने के लिए उनकी अग्नि-परीक्षा की जाती थी। यदि देखा जाए तो हिन्दू अपराध विधि अधिक कठोर थी, किन्तु मुस्लिम दण्ड विधि अथवा अंग्रेजी दण्ड-विधि की अपेक्षा कम कठोर थी। ब्राह्मणों व विशिष्ट वर्ग तथा स्त्रियों के प्रति हिन्दू दण्ड-विधि में अपेक्षाकृत कम दण्ड की व्यवस्था थी।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)

भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित रखने के लिए 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) बनाई गई थी। इस संहिता में विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध कर उसमें गिरफ्तारी और सजा का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 511 धाराएँ हैं।

- भारतीय दण्ड संहिता को 1 जनवरी, 1862 से लागू किया गया था।
- वर्तमान में यह संहिता सम्पूर्ण भारत में लागू है।
- भारतीय दण्ड संहिता का संख्यांक 45 है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अधिनियम संख्यांक-45

धारा 1. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार

यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार वर्तमान में सम्पूर्ण भारत पर लागू है।

धारा 2. भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड

हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य के लोप के लिए, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा, अन्यथा नहीं।

धारा 3. भारत से बाहर किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड

भारत के बाहर किये गये अपराध के लिए जो भी व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से बाहर किये गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।

धारा 4. राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार

इस संहिता के उपबन्ध–

(i) भारत से बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा।

(ii) भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी अपराध पर भी लागू है।

स्पष्टीकरण : इस धारा में 'अपराध' शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दण्डनीय होता।

दृष्टान्त : 'क' जो भारत का नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है। वह भारत के किसी स्थान में, जहाँ पर भी पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है।

धारा 5. कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना

इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 29. इस धारा के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायिक एवं दण्ड देने की शक्ति का उल्लेख जिसमें वह अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिए दण्ड दे सकता है। उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

धारा 40. 'अपराध'

इस धारा के खण्ड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों में 'अपराध' शब्द इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई किसी कार्य का द्योतक है।

अध्याय 4. (अध्याय 5-3) और निम्नलिखित धाराएं, अर्थात् धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में 'अपराध' शब्द इस संहिता के अधीन या एतस्मिनपश्चात् यथापरिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय कार्य का द्योतक है।

धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में 'अपराध' शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दण्डनीय हो।

धारा 41. 'विशेष विधि'

'विशेष विधि' वह है जो किसी विशिष्ट विषय के लिए लागू हो।

धारा 42. 'स्थानीय विधि'

'स्थानीय विधि' वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग के लिए ही लागू हो।

धारा 49. 'वर्ष–मास'

जहाँ कहीं 'वर्ष' शब्द या 'मास' शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाता है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैण्डर के अनुकूल दी जानी है।

धारा 50. 'धारा'

'धारा' शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है, जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं।

धारा 53. 'दण्ड'

अपराधी इस संहिता के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है, वे ये हैं–

पहला–मृत्यु

दूसरा–आजीवन कारावास

तीसरा–कारावास, जो दो प्रकार का है, अर्थात्–

(i) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ कारावास

(ii) साधारण कारावास

चौथा–सम्पत्ति का समपहरण (Forfeiture)

पाँचवाँ–जुर्माना

भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 121, 132, 194, 302, 305, 307 तथा 364 क और 396 में मृत्युदण्ड तक दिए जाने का प्रावधान है।

धारा 54. मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण

यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया है, यदि सरकार इस संहिता द्वारा उचित समझे, तो वह मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है।

धारा 55. आजीवन कारावास के दण्डादेश लघुकरण

हर मामले में, जिसमें आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास में लघुकृत कर सकेगी।

धारा 57.

इस धारा के अन्तर्गत दण्डाविधियों की भिन्नों (Fractions) की गणना करने में, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। परन्तु सरकार इस अवधि को परिवर्तित कर 14 वर्ष तक कर सकेगी।

धारा 63.

इस धारा के अन्तर्गत, जहाँ पर जुर्माने की राशि बतायी नहीं गई है, वहाँ जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परन्तु अत्यधिक नहीं होगा अर्थात् युक्तियुक्त होगा।

धारा 64. जुर्माना न होने पर कारावास का दण्डादेश

कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है, तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के हर मामले, जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है।

धारा 73.

इस धारा के अन्तर्गत एकांत परिरोध (Solitary Confinement) में रखने की अधिकतम अवधि 3 माह है।

दण्डादेश के एकान्त परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं होगा।

धारा 76 से 95.

इसके अन्तर्गत क्षमा योग्य अपराधों को इसमें शामिल किया गया है।

धारा 96 से 106.

ये धाराएँ न्यायोचित प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हैं।

धारा 77.

इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान मिलता है कि न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में विश्वास है कि वह सद्भावनापूर्वक है और वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

धारा 80. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना

कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ हो जाती है।

दृष्टान्त—'क' कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। या यदि 'क' की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी-योग्य है और अपराध नहीं है।

धारा 81. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है

कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या सम्पत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने को प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो।

स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य, जिसने यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, करने का जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी-योग्य था।

दृष्टान्त—'क' एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव-जीवन या सम्पत्ति को बचाने के आशय से सद्भावनापूर्वक करता है। यहाँ, यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि 'क' का कार्य माफी-योग्य है तो 'क' उस अपराध का दोषी नहीं है।

धारा 82. सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य

कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है।

धारा 83. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य

कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

धारा 84. विकृत-चित्त व्यक्ति का कार्य

कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृतचित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

धारा 86.

यह धारा स्वैच्छिक मत्तता से सम्बधित है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर माहोल खराब करत है तो यह अपनी इच्छा से मत्त होकर अपराध करना बचाव नहीं है। यह 500 रुपये से दण्डनीय होगा।

धारा 87.

भारतीय दंड संहिता की यह धारा, *वालेन्टी नॉन फिट इंजूरिया* पर आधारित है जिसका अर्थ—स्वेच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। इसमें सम्पत्ति में किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना गया है। इसमें निम्न अपवाद हैं—

(i) सम्पत्ति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को दी गई हो,

(ii) कार्य से मृत्यु या घोर उपहित कारित करना आशयित न हो।

धारा 94. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है

इस धारा के अन्तर्गत हत्या और मृत्युदण्ड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, ऐसा कोई कार्य जिसे कोई व्यक्ति की मृत्यु की धमकी मिलने के बाद करता है, वह अपराध नहीं है।

धारा 100. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित पर कब होता है ?

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य उपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन्पश्चात् प्रगणित भाँतियों में से किसी भी भाँति का है अर्थात्—

पहला—ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से मृत्यु की आशंका हो।

दूसरा—ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा।

तीसरा—बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला।

चौथा—प्रकृति काम-तृष्णा की प्राप्ति के आशय से किया गया हमला।

पाँचवाँ—व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला।

छठा—सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला।

सातवाँ—तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गम्भीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका हो।

धारा 103. कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है ?

सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य उपहानि स्वेच्छया कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के या किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एत्स्मिनपश्चात् प्रगणित भाँतियों में से किसी भी भाँति का है अर्थात्—

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश—धारा-103 में खण्ड चौथा के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया गया—

पाँचवाँ—अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा—

1. किसी ऐसी सम्पत्ति को जो सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रणाधीन अन्य निगम के प्रयोजन के लिए हो अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, तो
2. किसी रेलवे का जैसा कि रेल अधिनियम 1890 (अब भारतीय रेल अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड-4 में परिभाषित है अथवा रेलवे स्टोर को जैसा कि रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1955 में परिभाषित है, या
3. किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जैसा कि मोटरयान अधिनियम D (अब 1939) की धारा 2 के खण्ड 33 में परिभाषित है की गई प्रविष्टि (उत्तर प्रदेश अ.सं. 29 सन 1970 धारा 2 प्रभावी 17-7-1970)

पहला—लूट

दूसरा—रात्रि गृह-भेदन

तीसरा—अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गई है जो मानव-आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

चौथा—चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिसने युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

धारा 107. किसी बात का दुष्प्रेरण

वह व्यक्ति किसी बात के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

पहला—उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा

दूसरा—उस बात को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा

तीसरा—षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है।

तब वह किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा शन्ति भंग रोकथाम में सहायता करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण—जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथा जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जान-बूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

दृष्टान्त—'क' जो कि एक लोक ऑफिसर है, न्यायालय के वारंट द्वारा 'य' को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। 'ख' उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि 'ग', 'य' नहीं है, 'क' को जान-बूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि 'ग', 'य' है, और तद्द्वारा साशय 'क' से 'ग' को पकड़वाता है। या 'ख', 'ग' के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

धारा 120. (क) आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा

जबकि दो या अधिक व्यक्ति—

1. कोई अवैध कार्य, अथवा
2. कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, परन्तु अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यन्त्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यन्त्र तब तक न होगी, जब तक कि

सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण—यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है।

टिप्पणी—किसी अभियुक्त को धारा-120-क के अन्तर्गत आपराधिक षड्यन्त्र के लिए दोषी ठहराने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त एक ऐसा आचरण करने के लिए सहमत था जिसे वह जानता था कि सहमत हुए एक या अधिक व्यक्तियों को अपराध कारित करने की ओर ले जाएगा। सहमति के तथ्य के अतिरिक्त अपराध के आवश्यक दुराशय को भी स्थापित किया जाना चाहिए। (साजू *बनाम* केरल राज्य ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 175 केरल राज्य)

धारा 120. (ख) आपराधिक षड्यन्त्र का दण्ड

1. जो कोई मृत्यु (आजीवन कारावास) या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के षड्यन्त्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यन्त्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

2. जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यन्त्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यन्त्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 121. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना

जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

दृष्टान्त—'क' भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। 'क' ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 121. (क) धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र

जो कोई धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यन्त्र करेगा, या केन्द्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यन्त्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी प्रकार के कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन षड्यन्त्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो।

धारा 124. (क) राजद्रोह

जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा, या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—

1. 'अप्रीति' पद के अन्तर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएँ आती हैं।
2. घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्पन्न किये बिना या उत्पन्न करने का प्रयत्न किये बिना, सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती।

लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 141. विधि-विरुद्ध जमाव

पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव 'विधि-विरुद्ध जमाव' (unlawful assembly) कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो—

पहला—केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य-सरकार को, या संसद को, या किसी राज्य के विधानमण्डल को, या किसी लोक-सेवक को जबकि वह ऐसे

लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा

दूसरा—किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

तीसरा—किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा

चौथा—किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा

पाँचवाँ—आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना।

स्पष्टीकरण—कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा।

धारा 142. विधि-विरुद्ध जमाव सदस्य होना

जो कोई तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधि-विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित

होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।

धारा 143.

भा.दं.सं. की इस धारा के तहत विधि के विरुद्ध कोई 'सदस्य होगा। वह कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

धारा 146. बलवा (Rioting) करना

जब कभी विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा 147. बलवा करने के लिए दण्ड

जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 148. घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना

जब कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 153. क.

धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर किसी से शत्रुता बढ़ाने के लिए दण्डित किया जाएगा।

धारा 153. ख.

इस धारा के अन्तर्गत राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबन्ध किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 154, 155 व 156 दांडित विधि में **प्रतिनिधिक दायित्व** को स्वीकार करती हैं।

धारा 159. दंगा (Affray)

जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लड़ कर लोक-शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे 'दंगा' करते हैं।

धारा 160. दंगा करने के लिए दण्ड

जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मिथ्या साक्ष्य और लोक–न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 191. मिथ्या साक्ष्य देना

जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त 'उपबन्ध' द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण–'क' सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के सम्बन्ध में यह विश्वास करता है कि वह 'य' का हस्तलेख है, जबकि वह उसके 'य' का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है। यहाँ 'क' वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है।

धारा 193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को सजा सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–

1. सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है।
2. न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

दृष्टांत–यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या 'य' को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जाँच में 'क' शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है। वह जाँच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए 'क' ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

धारा 268. लोक न्यूसेंस

वह व्यक्ति न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसी अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आस-पास में रहते हों या आस-पास की सम्पत्ति पर अधिभाग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का, जिन्हें किसी लोक-अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्य सम्भावी हो।

कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।

धारा 269. संगरोध नियम–इस अधिनियम के अन्तर्गत व कोई व्यक्ति यदि संगरोध नियमों का पालन नहीं करता है और संक्रामक रोगों का प्रसार कर सकता है तो वह दण्डनीय होगा।

धारा 290. अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक-न्यूसेंस के लिए दण्ड

जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक-न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है वह जुर्माने से, जो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा 295.किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुँचाना या अपवित्र करना

जो कोई किसी उपासना-स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट या नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किये जाने से हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 296.धार्मिक जमाव में विघ्न करना

जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा से विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 297.कब्रिस्तानों आदि से अतिचार करना

जो कोई किसी उपासना-स्थान में, किसी कब्रिस्तान पर, या अंत्येष्टि-क्रियाओं के लिए मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गये किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव-शव की अवहेलना या अंत्येष्टि-संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 299.आपराधिक मानव-वध

जो कोई मृत्यु करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह मानव-वध का अपराध करता है।

दृष्टांत–

1. 'क' एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित करे या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि सम्भाव्य है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित हो। 'य' यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। 'क' ने मानव-वध का अपराध किया है।
2. 'क' यह जानता है कि 'य' एक झाड़ी के पीछे है। 'ख' यह नहीं जानता। 'य' की मृत्यु करने के आशय से यह जानते हुए कि उससे 'य' की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, 'ख' को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए 'क' को उत्प्रेरित करता है। 'ख' गोली चलाता है और 'य' को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि 'ख' किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु 'क' ने आपराधिक मानव-वध का अपराध किया है।

स्पष्टीकरण–

1. वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, यह हत्या समझी जाएगी।
2. माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव-वध नहीं है, किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव-वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

धारा 300.हत्या

पहला–एतस्मिन्पश्चात् आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव-वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा–यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा–यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा–यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

दृष्टांत–

1. 'य' को मार डालने के आशय से 'क' उस पर गोली चलाता है। परिणामस्वरूप 'य' मर जाता है, 'क' हत्या करता है।
2. 'य' जो तलवार या लाठी से ऐसा घाव 'क' साशय से करता है जो प्रकृति के अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणामस्वरूप 'य' की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ 'क' हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय 'य' की मृत्यु कारित करने का न रहा हो।

धारा 302.हत्या के लिए दण्ड

जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा। मौत की सजा सुनाने वाला न्यायालय मामले की प्रतिपुष्टि उच्च न्यायालय से प्राप्त करता है। प्रायः मौत की सजा दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के रूप में परिभाषित किया है।

धारा 304.हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध के लिए दण्ड

जो कोई ऐसा आपराधिक मानव-वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, अथवा

यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, या ऐसी शारीरिक क्षति जिसे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 304.(ख) दहेज मृत्यु

जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी सम्बन्धी ने, दहेज की किसी माँग के लिए, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या सम्बन्धी को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–

1. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।
2. जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

धारा 305.शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण

यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपर्यस्त चित्त व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है, आत्महत्या कर ले तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 306.आत्महत्या का दुष्प्रेरण

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 307.हत्या करने का प्रयत्न

जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न

जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

दृष्टांत–

1. 'य' की मृत्यु कारित करने के आशय से 'क' उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो 'क' हत्या का दोषी होता है। 'क' इस धारा के अधीन दण्डनीय है।
2. 'क' छोटी आयु के शिशु की मृत्यु करने के आशय से एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। 'क' ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती।

धारा 308.आपराधिक मानव-वध करने का प्रयत्न

जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दृष्टांत–'क' गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, 'य' पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता, वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध का दोषी होता। 'क' ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 309.आत्महत्या करने का प्रयत्न

जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 310.ठग

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है, वह ठग है।

धारा 311.दण्ड

जो कोई ठग होगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 312.गर्भपात

यह भारतीय दंड संहिता की धारा गर्भपात कारित करने से सम्बन्धित है।

मानव शरीर के विरुद्ध अपराध

धारा 319.उपहति

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करता है, वह उपहति करता है तब यह कहा जाता है।

धारा 320.घोर उपहति

केवल नीचे लिखी किस्में घोर उपहति कहलाती हैं–

पहला–पुंस्त्वहरण।

दूसरा–दोनों में किसी नेत्र-दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

तीसरा–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद।

चौथा–किसी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पाँचवाँ–किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास।

छठा–सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण।

सातवाँ–अस्थि या दाँत का भंग या विसंधान।

आठवाँ–कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके द्वारा उपहति व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को रोकने के लिए असमर्थ रहता है।

धारा 323.स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड

इस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 325. 326 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड

उस दशा में सिवाय, जिसके लिए धारा 325 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, एसिड या ज्वलनशील पदार्थ फैंककर उपक्षति पहुँचाता है। वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 336. दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य–यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कारित करता है जिसमें दूसरों का जीवन खतरे में पड़ सकता है तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने के कारावास, 250 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

सदोष अवरोध और परिरोध

धारा 339.सदोष अवरोध

जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को उस दशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है।

अपवाद–भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

दृष्टांत–'क' एक मार्ग में, जिसमें होकर जाने का 'य' का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। 'य' जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है। 'क', 'य' का सदोष अवरोध करता है।

धारा 340.सदोष परिरोधन

यह सदोष अवरोध के परिरोधन से सम्बंधित है।

धारा 341.सदोष परिरोधन दंड एवं जुर्माने का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अन्तर्गत सदोष अवरोध के लिए एक माह का कारावास या ₹ 500 या जुर्माना या दोनों के दण्ड का प्रावधान करती है।

नोट–सामान्य परिस्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को इसकी सूचना 5 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है।

धारा 342.सदोष परिशोधन दंड एवं जुर्माने का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत सदोष परिशोधन के लिए एक वर्ष का कारावास या ₹ 1,000 का जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान कर सकती है।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम, परिरोध

धारा 359.व्यपहरण-रूपहरण दो किस्म का होता है

भारत में व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

धारा 360.भारत में से व्यपहरण

जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण कहा जाता है।

धारा 361.विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण–इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद—इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावनापूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि-विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।

धारा 362.अपहरण (Abduction)

जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।

धारा 363.(क) भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण

1. जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख माँगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
2. जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
3. जहाँ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।
4. इस धारा में—

(क) 'भीख माँगने' से अभिप्रेत है—

(i) लोकस्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना।

(ii) भिक्षा की योजना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रेवेश करना।

(iii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव-जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना।

(ख) अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) यदि नर है, तो 16 वर्ष से कम आयु का है, तथा

(ii) यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की है।

धारा 364.हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्यपनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

दृष्टांत—

(i) 'क' इस आशय से या वह सम्भाव्य जानते हुए कि किसी देवमूर्ति पर 'य' की बलि चढ़ाई जाए भारत में से 'य' का व्यपहरण करता है। 'क' ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ii) 'ख' को उसके गृह से 'क' इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि 'ख' की हत्या की जाए। 'क' ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 364 (क) फिरौती इत्यादि के लिए व्यपहरण

जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है अथवा अपने आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है अथवा ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु, सरकार को (या किसी विदेश राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्शासकीय संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति) को किसी कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने अथवा फिरौती या मुक्तिधन व्यपहरण करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कारित करता है, मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

प्रकृति–विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 377.प्रकृति विरुद्ध अपराध

जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रिय-भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इंद्रिय भोग गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 378.चोरी

जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। चोरी तब डकैती बनती है जब उसमें कम-से-कम पाँच व्यक्ति शामिल हों।

स्पष्टीकरण–

1. जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।
2. हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा।

दृष्टांत–'य' की सम्मति के बिना 'य' के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से 'य' की भूमि पर लगे वृक्ष को 'क' काट डालता है। यहाँ ज्योंही 'क' ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की।

धारा 379.चोरी के लिए दण्ड

जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 380.निवास-गृह आदि में चोरी

जो कोई ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलयान मानव-निवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 415.ठगी–यदि कोई व्यक्ति झूठा प्रपंच कर किसी व्यक्ति को ठगता है, या उसकी सम्पत्ति को हस्तगत करता है तो ऐसा व्यक्ति आधंक आजीवन कारावास, जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

लूट और डकैती के विषय में

धारा 390.लूट

सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

चोरी कब लूट है ?

चोरी 'लूट' है, यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में, या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

उद्दापन कब लूट है ?

उद्दापन 'लूट' है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है, और इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण–अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति से या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो।

दृष्टांत–

1. 'क' 'य' को दबोच लेता है और 'य' के कपड़ों में से 'य' का धन और आभूषण 'य' की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ, 'क' ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया 'य' का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए 'क' ने लूट की है।
2. 'क', 'य' को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और 'य' की थैली माँगता है। परिणामस्वरूप 'य' अपनी थैली दे देता है। यहाँ 'क' ने 'य' को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अतः 'क' ने लूट की है।

धारा 391.डकैती

जबकि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, या करने का प्रयत्न करते हैं या जहाँ कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं कुल मिलाकर पाँच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह 'डकैती' करता है।

धारा 392.लूट के लिए दण्ड

जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग या सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा।

धारा 393.लूट करने का प्रयत्न

जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

धारा 394.लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना

यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर सम्पृक्त होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 395.डकैती के लिए दण्ड

जो कोई डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी से, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 396.हत्या सहित डकैती

यदि ऐसे पाँच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या

कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 400.डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का सदस्य होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 415.छल (Cheating)

जो कोई व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी को परिदत्त कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे, जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता, न करता या करने का लोप न करता, और जिस कार्य का लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी सम्भाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—तथ्यों को बेईमानों से छिपाना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत प्रवंचना है।

दृष्टांत—'क' सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साशय 'य' से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से 'य' को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। 'क' छल करता है।

धारा 417.छल के लिए दण्ड

जो कोई छल करेगा, उसे जुर्माने के रूप में 1 वर्ष का कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 493.विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास

हर पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्ण उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 494.पति या पत्नी के जीवन-काल में पुनः विवाह करना

जो कोई व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा, जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि ऐसे पति या पत्नी के जीवन-काल में होता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

सभी हिन्दुओं, ईसाइयों तथा पारसियों पर समान रूप से लागू होती है चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किन्तु मुसलमानों में केवल, मुस्लिम स्त्रियों पर लागू होती है, मुस्लिम पुरुषों पर नहीं लागू होती है।

अपवाद—इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है, और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन-काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहाँ तक कि उनका ज्ञान उसको हो, दे दे।

धारा 497.जारकर्म (Adultery)

जो कोई ऐसे महिला के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मनोनुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।

धारा 498.विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना

जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख-रेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ उपयुक्त संभोग करेगा इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपायेगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

धारा 498 (क) किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए भी ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

मानहानि के विषय में

धारा 499.मानहानि

जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

दृष्टांत–

1. 'क', यह कराने के आशय से कि 'य' ने 'ख' की घड़ी अवश्य चुरायी है, कहता है 'य' एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने 'ख' की घड़ी कभी नहीं चुरायी है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि है।
2. 'क' से पूछा जाता है कि 'ख' की घड़ी किसने चुरायी है। 'क' यह विश्वास कराने के आशय से कि 'य' ने 'ख' की घड़ी चुरायी है, 'य' की ओर संकेत करता है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है।

धारा 500.मानहानि के लिए दण्ड

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक ही हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 503.आपराधिक अभित्रास

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उससे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप में आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को रोकने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

स्पष्टीकरण–किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी, जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

दृष्टांत–सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए 'ख' को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से 'ख' के घर को जलाने की धमकी 'क' देता है। 'क' आपराधिक अभित्रास का दोषी है।

धारा 504.लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान

जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 506.आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड

जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो–यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 509.शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 510.मत्त व्यक्ति द्वारा लोक-स्थान में अवचार

जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक-स्थान में, किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घण्टे तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

धारा 511.आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को कराने के प्रयत्न के लिए दण्ड

जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई कार्य होगा, जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से, उस अवधि के लिए, जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से या उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दृष्टांत–

1. 'क' एक सन्दूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। सन्दूक इस प्रकार खोलने के पश्चात् उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी है।
2. 'क', 'य' की जेब में हाथ डालकर 'य' की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। 'य' की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप 'क' अपने प्रयत्न में असफल रहता है। 'क' इस धारा के अधीन दोषी है।

भा. द. सं., 1860 की महत्वपूर्ण धाराएँ : एक दृष्टि में

1. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार
2. भारत के भीतर किये गए अपराधों का दण्ड
3. भारत से परे किये गए, किन्तु उसकी विधि के भीतर विचारणीय अपराधों के लिए दण्ड
4. राज्य-क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार

11. 'व्यक्ति'
12. 'लोक'
17. 'सरकार'/लोक सेवक की परिभाषा
18. 'भारत'
19. 'न्यायाधीश'
20. 'न्यायालय'
21. 'लोक सेवक'
22. 'जंगम सम्पत्ति'
23. 'सदोष अभिलाभ' 'सदोष हानि'
24. 'बेईमानी से'
25. 'कपटपूर्वक'
28. 'कूटकरण'
29. 'दस्तावेज'

29-क. 'इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख'

33. 'कार्य, लोप'
34. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गए कार्य
35. जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है
36. अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम
40. 'अपराध'
43. 'अवैध'–'करने के लिए वैध रूप से आबद्ध'
50. 'धारा'
51. 'शपथ'
52. 'सद्भावपूर्वक'

52-क. 'संश्रय'

53. 'दण्ड'
54. मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण
55. आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण
57. दण्डावधियों की भिन्नें
73. एकान्त परिरोध
74. एकान्त परिरोध की अवधि
76. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
100. इसके अन्तर्गत शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी की मृत्यु करने तक है।
120. आपराधिक दुष्प्रेरण जान–बूझकर किसी को अपराध के लिए उकसाना (आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा।)
124. राजद्रोह।

124.B- राजद्रोह की परिभाषा, सत्ता के प्रति घृणा फैलाना।

172. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
174. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना
175. दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप
176. सूचना या इत्तिला देना
177. मिथ्या इत्तिला देना
178. शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना, जबकि लोक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए
179. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इन्कार करना
182. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे
186. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना
187. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो
191. मिथ्या साक्ष्य देना
192. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

195-क. किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना

196. उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
197. मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना प्रमाण-पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना

199. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन

200. ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना

201. अपराध के साक्ष्य का विलोमन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना

205. वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण

211. क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप

228. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक या साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न

265. गलत वचन या माप जो कपटपूर्वक की जाती है के लिए दण्ड का प्रावधान (जो अधिकतम एक वर्ष का हो सकता है)

268. लोक न्यूसेंस

269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो (6 मास कारावास की सजा)

271. संगरोध से सम्बन्धित है यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह 6 मास के कारावास से दण्डनीय होगा।

279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना

291. न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना

292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।

294. अश्लील कार्य और गाने

299. आपराधिक मानव वध

300. हत्या

आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है

301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध

302. हत्या के लिए दण्ड

303. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड

304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड

304-क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

304-ख. दहेज मृत्यु (हत्या)

> नोट–I.P.C. में दहेज हत्या को मृत्यु दण्ड योग्य अपराध नहीं माना है।

305. शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण

307. हत्या करने का प्रयत्न

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न

308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न

309. आत्महत्या करने का प्रयत्न

310. ठग

311. दण्ड

312. गर्भपात कारित करना

313. स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना

319. उपहति

320. घोर उपहति

321. स्वेच्छया उपहति कारित करना

322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये दण्ड

324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना

325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड

326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति करना

326-क. अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित कराना

326-ख. स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना

334. प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

336. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेत्र संकटापन्न है

339. सदोष अवरोध

340. सदोष परिरोध

341. सदोष अवरोध के लिए दण्ड

342. सदोष परिरोध के लिए दण्ड

349. बल

350. आपराधिक बल

351. हमला

354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354-क. लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड

354-ख. निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354-ग. दृश्यरतिकता

354-घ. पीछा करना

359. व्यपहरण

360. भारत में से व्यपहरण

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

362. अपहरण (या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बहकाकर अपने साथ ले जाता है।)

363. व्यपहरण के लिए दण्ड

363-क. भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण

364-क. फिरौती आदि के लिए व्यपहरण

366-क. अप्राप्तव्य लड़की का उपापन

375. बलात्संग

376. बलात्संग के लिए दण्ड

376-क. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशी दशा कारित करने के लिए दण्ड

376-ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन

376-ग. प्राधिकार में ऐसे व्यक्ति द्वारा मैथुन

376-घ. सामूहिक बलात्संग

376-ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड

377. प्रकृति विरुद्ध अपराध

378. चोरी

379. चोरी के लिए दण्ड

380. निवास-गृह आदि में चोरी

381. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी

383. उद्दापन

384. उद्दापन के लिए दण्ड

390. लूट

चोरी कब लूट है

उद्दापन कब लूट है

391. डकैती (चार चरणों में दण्डनीय व 14 साल की सजा का प्रावधान)

392. लूट के लिए दण्ड

393. लूट करने का प्रयत्न

394. लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना

395. डकैती के लिए दण्ड

396. हत्या सहित डकैती

399. डकैती करने के लिए तैयारी करना

400. डाकुओं की टोली का साथी होने के लिए दण्ड

403. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग

405. आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of Trust)

406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड के लिए तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

408. लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग

409. लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्त्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग

410. चुराई गई सम्पत्ति

415. छल (Cheating)

416. प्रतिरूपण द्वारा छल

417. छल के लिए दण्ड (1 वर्ष का कारावास व जुर्माना)

419. प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड

420. छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना

425. रिष्टि

426. रिष्टि के लिए दण्ड

441. आपराधिक अतिचार

442. गृह-अतिचार

443. प्रच्छन्न गृह-अतिचार

444. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार

445. गृह-भेदन (House-breaking)

446. रात्रौ गृह-भेदन (House-breaking by Night)

447. आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड

448. गृह-अतिचार के लिए दण्ड

453. प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड

456. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दण्ड

463. कूट रचना (Forgery) की परिभाषा दी गई है।

464. मिथ्या दस्तावेज रचना

465. कूटरचना के लिए दण्ड

466. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना

467. मूल्यवान प्रतिभूति, बिल, इत्यादि की कूटरचना

468. छल के प्रयोजन से कूटरचना

469. किसी की प्रतिष्ठा को खण्डित करने के लिये किये गये जाल साजी या छल

493. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास

494. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना

495. वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपा कर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है

497. जारकर्म (Adultery)

498. विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, या निरुद्ध रखना

498-क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना

499. मानहानि (Defamation)

500. मानहानि के लिए दण्ड

501. मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना

503. आपराधिक अभित्रास

506. आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड

509. शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है

510. मत्त व्यक्ति द्वारा लोकस्थान में अवचार

511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड

एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत आदेश पारित आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार करता है तो वह अनधिकृत है उसे दोषी माना जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का अधिनियम संख्यांक 2)

दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षित नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से सम्बन्धित उपबन्धों से भिन्न, उपबंध–

(क) नागालैण्ड राज्य को;

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्धों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''जनजाति क्षेत्र'' से किसी राज्य के क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की छठवीं अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।

(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ–इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''जमानतीय अपराध'' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में उल्लिखित है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और ''अजमानतीय अपराध'' से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है;

(ख) ''आरोप'' के अन्तर्गत, जब आरोप में एक से अधिक शीर्षक हों, आरोप का कोई भी शीर्षक है;

(ग) ''संज्ञेय अपराध'' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुक्रम में वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है;

(घ) ''परिवाद'' से इस संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किन्तु इसके अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है;

स्पष्टीकरण–ऐसे किसी विषयों में, जो पुलिस अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी माना जाएगाः

(ङ) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है,–

(i) किसी राज्य के सम्बन्ध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय;

(ii) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि (कानून) द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय;

(iii) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए दाण्डिक अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय;

(च) ''भारत'' से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता (अधिनियम) का विस्तार है;

(छ) ''जाँच'' से, अभिप्रेत है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जाँच जो इस संहिता (अधिनियम) के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए;

(ज) ''अन्वेषण'' के अन्तर्गत वे सब कार्यवाहियाँ हैं जो इस संहिता (अधिनियम) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या (मजिस्ट्रेट से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएँ;

(झ) ''न्यायिक कार्यवाही'' के तहत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुरूप में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है;

(ञ) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के विषय में ''स्थानीय अधिकारिता'' से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में सम्पूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) ''महानगर क्षेत्र'' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है;

(ठ) (i) ''असंज्ञेय अपराध'' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और ''असंज्ञेय मामला'' से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है;

(ii) **संज्ञेय अपराध**–संज्ञेय अपराध से ऐसा अभिप्राय अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारेण्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

(ड) ''अधिसूचना से राजपत्र (गजट) में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ढ) ''अपराध'' से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कृत्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है;

(ण) ''पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी'' के अन्तर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसे अधिकारी से पदानुक्रम से ठीक नीचे है और कान्स्टेबल से पदानुक्रम में ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है;

(त) ''स्थान' के तहत गृह, भवन, तम्बू, यान और जलयान भी हैं;

(थ) किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रयोग किये जाने पर ''प्लीडर'' से, ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि-व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और उसके तहत कोई भी अन्य व्यक्ति है, जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है;

(द) ''पुलिस रिपोर्ट'' से अभिप्रेत है जो पुलिस अधिकारी द्वारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है;

(ध) ''पुलिस थाना'' से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है;

(न) ''विहित'' से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) ''लोक अभियोजक'' से धारा 24 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लोक अभियोजक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है;

(फ) ''उपखण्ड'' से जिले का उपखण्ड अभिप्रेत है;

(ब) 'समन-मामला'' से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से सम्बन्धित है और जो वारण्ट-मामला नहीं है;

[(बक) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और ''पीड़ित'' पद के तहत उसका संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी है;]

(भ) ''वारण्ट-मामला'' से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से सम्बन्धित है;

(म) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं।

3. निर्देशों का अर्थ लगाना—

(1) इस संहिता में—

(क) विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न किया गया हो—

(i) महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(ii) महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(ख) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में यह आशय लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति और महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(ग) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का,—

(i) किसी महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के विषय में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के विषय में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।

(2) इस संहिता में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के विषय में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है।

(3) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संहिता के प्रारम्भिक के पूर्व पारित किसी अधिनियमिति में—

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(ख) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह आशय लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(ग) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह आशय लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है;

(घ) महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह आशय लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यह आशय लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।

(4) जहाँ इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं—

(क) जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथव सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की अथवा अन्वेषण, जाँच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के तहत रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा करा सकते हैं; या

(ख) जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्द किया जाना, अभियोजन की स्वीकृति या अभियोजन वापस लेना, वहाँ वे यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं।

4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार–

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जाँच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जाँच विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के तहत किन्तु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियिमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के प्रवर्तन अधीन रहते हुए की जाएगी।

5. व्यावृत्ति–इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा स्थापित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय 2

दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

6. दण्ड न्यायालयों के वर्ग–उच्च्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दण्ड न्यायालय होंगे, अर्थात्–

(i) सेशन न्यायालय;

(ii) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट;

(iii) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; और

(iv) कार्यपालिक मजिस्ट्रेट।

7. प्रादेशिक खण्ड–

(1) प्रत्येक राज्य एक सत्र खण्ड होगा या उसमें सत्र खण्ड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सत्र खण्ड एक जिला होगा या उससें जिले होंगेः

परन्तु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, उक्त प्रयोजनो के लिए, एक पृथक सत्र खण्ड और जिला होगा।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ऐसे खण्डों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, किसी जिले को उपखण्डों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखण्डों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(4) किसी राज्य में इस संहिता के प्रारम्भ के समय विद्यमान सेशन खण्ड, जिले और उपखण्ड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएँगे।

8. महानगर क्षेत्र–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि उस तिथि से; जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा।

(2) इस संहिता के प्रारम्भ से, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेन्सी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएँगे।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है, किन्तु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम रह जाए।

(4) जहाँ किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है वहाँ ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख को और उसमें, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा; परन्तु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जाँच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित थी इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो।

(5) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है वहाँ ऐसी जाँच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित थी ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जाँच, विचारण या अपील इस संहिता के तहत उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, ''जनसंख्या'' पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

9. सेशन न्यायालय–

(1) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन (सत्र) खण्ड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी।

(2) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) उच्च न्यायालय अपर सेशन (सत्र) न्यायाधीशों और सहायक सेशन (सत्र) न्यायाधीशों को भी सेशन (सत्र) न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खण्ड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खण्ड का अपर सेशन (सत्र) न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खण्ड के ऐसे स्थान या स्थानों मे बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे।

(5) जहाँ किसी सेशन (सत्र) न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहाँ उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेन्ट आवेदन के, जो उस सेशन (सत्र) न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लम्बित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन (सत्र) खण्ड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी।

(6) सेशन (सत्र) न्यायालय समान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; किन्तु यदि किसी विशेष मामले में, सेशन न्ययालय की यह राय है कि सेशन (सत्र) खण्ड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह, अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस संहिता के प्रयोजनों के लिए ''नियुक्ति'' के तहत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति नहीं है जहाँ विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है।

10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना—

(1) सब सहायक सेशन (सत्र) न्यायाधीश उस सेशन (सत्र) न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

(2) सेशन (सत्र) न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन (सत्र) न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है।

(3) सेशन (सत्र) न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक के सेशन (सत्र) न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन (सत्र) न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है; और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

11. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय—

(1) प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएँगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें:

[परन्तु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है और जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।]

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(3) उच्च न्यायालय, जब भी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि—

(1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ये प्रायः अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं या यथा समय विधि द्वारा निर्धारित किया जाय।

(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के तहत् या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियाँ, जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे, होंगी।

(3) (क) उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है तथा उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है।

(ख) प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियाँ भी होंगी, जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विर्निदिष्ट करे, और वह उनका प्रयोग करेगा।

13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट—

(1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, [किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में] द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है: परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी

जब तक उसके पास विधिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएँगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएँगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देश कर सकता है।

14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता—

(1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चत कर सकता है जिनके अन्दर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएँ :

[परन्तु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है।]

(2) ऐसे परिनिश्चिय द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार सम्पूर्ण जिले में होगा।

(3) जहाँ धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार, यथास्थिति, उस जिले या महानगर क्षेत्र के, जिसके भीतर वह आंशिक तौर पर अपनी बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है वहाँ इस संहिता में सेशन (सत्र) न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के सम्पूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।

15. न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना—

(1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन (सत्र) न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन (सत्र) न्यायाधीश के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के सम्बन्ध में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

16. महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय—

(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएँगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र में होगा।

17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट—

(1) उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।

(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियाँ, जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे, होंगी।

18. विशेष महानगर मजिस्ट्रेट—

(1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके तहत प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदान कर सकता है:

परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएँगी जब तक उसके पास विधिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्ययालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएँगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएँगे जितनी उच्च न्यायलय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे।

[(3) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है या निर्देश दे सकती है।]

19. महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ—

(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन (सत्र) न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन (सत्र) न्यायाधीश के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।

(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।

(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा।

20. कार्यपालक मजिस्ट्रेट–

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्यिों को, जितने वह उचित और आवश्यक समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के तहत या तत्यमय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की [वे] शक्तियाँ होंगी [जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे]।

(3) जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरदायी होता है तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान किये गये हों या उस पर अधिरोपित हों।

(4) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है तथा उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा।

[(4क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के तहत अपनी शक्तियाँ, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

(5) इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवारित नहीं करेगी।

21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट–

(1) राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाऐंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान कर सकती है।

22. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता–

(1) राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित कर सकता है जिनके अन्दर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएँ।

(2) ऐसे परिनिश्चिय द्वारा जैसा उपबन्धित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार सम्पूर्ण जिले में होगा।

23. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–

(1) अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखंड में शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के विषय में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के विषय में समय-समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

24. लोक अभियोजक–

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

(3) प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है:

परन्तु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सेशन (सत्र) न्यायाधीश के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल (समूह) तैयार करेगा जो, उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है।

(5) कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल (समूह) में न हो।

(6) उपधारा (5) में सिकी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर, गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी:

परन्तु जहाँ राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल (समूह) में से, यथास्थिति, लोक अभियाजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

[**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर'' से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है;

(ख) ''अभियोजन अधिकारी'' से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कार्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।]

(7) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो।

(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किन्हीं मामले या किन्हीं वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को, जो कम से कम दस वर्ष तक विधि व्यवसाय (वकालत) करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है:

[परन्तु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को, अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।]

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति के प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजक अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएँ की हैं (चाहे इस संहिता के प्रारम्भ के पहले की गई हों या पश्चात्) यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय (वकालत) किया है।

25. सहायक लोक अभियोजक—

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।

[(1) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।]

(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा।

(3) जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ जिले मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है:

परन्तु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा—

(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में किसी भी प्रकार से कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजन किया जा रहा है, या

(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।

[25क. अभियोजन निदेशालय—

(1) राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप-निदेशक होंगे, जितने वह उचित समझे।

(2) कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय (वकालत) में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी।

(3) अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विज्ञान के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(4) प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन, उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(6) राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की; यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (8) के अधीन जिला न्यायालयों में विषय का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो अभियोजन उप-निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(7) अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप-निदेशकों की शक्तियाँ तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(8) लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में, इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे।]

अध्याय 3

न्यायलयों की शक्ति

26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं—

इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए—

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध का विचारण—

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(iii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित (उल्लिखित) किया गया है:

परन्तु [भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 376 और धारा 376 क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376 घ या धारा 376 ङ] के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे नयायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला न्यायाधीश [पीठासीन हो।]

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में निमित्त कोई न्ययालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब—

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है।

27. किशोरों के मामलों में अधिकारित—किसी ऐसे अपराध का विचारण, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, सोलह वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

28. दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे—

(1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है।

(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है; किन्तु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रखण्ड

- दं. प्र. सं. को राष्ट्रपति, द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी, 1974 को प्राप्त हुई।
- दं. प्र. सं. 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई।
- दं. प्र. सं. 1973 ने द. प्र. सं. 1898 का स्थान लिया जिसमें 565 धाराएँ तथा 5 अनुसूचियाँ थीं।
- दं. प्र. सं. में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएँ हैं तथा 2 अनुसूचियाँ हैं।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(a)/2 (क) जमानतीय अपराध (Bailable Offence) को परिभाषित करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(c)/2 (ग) संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) को परिभाषित करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(n)/2 (ढ) में 'अपराध' (Offence) को परिभाषित किया गया है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(o)/2 (ण) में थाने का भारसाधक अधिकारी (Officer in charge of Police Station) को परिभाषित किया गया है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(r)/2 (द) में 'पुलिस रिपोर्ट' (Police Report) को परिभाषित किया गया है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(s)/2 (ध) में 'पुलिस थाना' (Police Station) को परिभाषित किया गया है।
- दं. प्र. सं. की मुख्य विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(u)/2 (प) 'लोक अभियेजक' (Public Prosecutor) को परिभाषित करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(wa)/2 (ब क) 'पीड़ित' (Victim) को परिभाषित करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 2(x)/2 (भ) 'वारंट मामला' (Warrant Case) को परिभाषित करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगी जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो।
- दं. प्र. सं. की धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से सम्बन्धित है।
- दं. प्र. सं. की धारा 41(c)/41 (ग) के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (Police Control Room) की स्थापना का प्रावधान करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 41(d)/41 (घ) के द्वारा गिरफ्तार किए गए, व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने के अधिकार का प्रावधान करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 45 में सशस्त्र बलों (Armed Forces) के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 57 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।
- दं. प्र. सं. की धारा 77 के अन्तर्गत, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।
- दं. प्र. सं. की धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति के (हाजिर होने) के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है।
- दं. प्र. सं. की धारा 83 के अन्तर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से सम्बन्धित है।
- दं. प्र. सं. की धारा 93 के तहत 'तलाशी वारंट' (Search Warrant) जारी किया जाता है।
- दं. प्र. सं. की धारा 97 का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है।
- दं. प्र. स. की धारा 153 थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंदर बाँट एवं मापों के निरीक्षण से सम्बन्धित है।
- दं. प्र. सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- उत्तर प्रदेश में 'अग्रिम जमानत' के उपबंध वर्ष 1976 से प्रवर्तनीय नहीं है।
- 1 सितंबर, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रवर्तन हुआ था।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था।
- आर. एम. मलकानी *बनाम* महाराष्ट्र राज्य के वाद के संबंध में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया।
- रेस जेस्टे के सिद्धान्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में लिपिबद्ध किया गया है।

- शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किन्तु पहचान कार्यवाहियाँ करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी।
- शिनाख्त परेड सम्बन्धी नियम के साक्ष्य धारा 9 में वर्णित हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में 'स्वीकृति' को परिभाषित किया गया है।
- धारा 25 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी।
- धारा 32(1) में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन मृत्यु कालिक कथन दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में ग्राह्य होगा।

द. प्र. सं., 1973 प्रमुख धाराएँ : एक दृष्टि में

2 (क)/2 (a) 'जमानतीय अपराध' की परिभाषा
2 (ग)/2 (c) 'संज्ञेय अपराध' की परिभाषा
2 (घ)/2 (d) 'परिवाद' की परिभाषा
2 (छ)/2 (g) 'जाँच' की परिभाषा
2 (ज)/2(h) 'अन्वेषण' की परिभाषा
2 (ठ)/2(i) 'असंज्ञेय अपराध' की परिभाषा
2 (ढ़)/2(n) 'अपराध' की परिभाषा
2 (ण)/2(o) थाने के भारसाधक अधिकारी
2(द)/2 (r) पुलिस रिपोर्ट
2 (ध)/2(s) पुलिस थाना
2 (प)/2(u) लोक अभियोजक
2 (ब)/2(w) समन मामला
2 (भ)/2(x) वारंट मामला
2(बक)/2(wa) 'पीड़ित' की परिभाषा
8. राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा (10-लाख से ऊपर जनसंख्या)
9. सेशन न्यायालय
10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना
11. न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय
12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
20. कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
24. लोक अभियोजक
25. सहायक लोक अभियोजक
25-क. अभियोजन निदेशालय
26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है
27. किशोरों के मामलों में अधिकारिता
37. जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
38. पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है
39. कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना
41. पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित
41-ग. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (Police Control Room) की स्थापना का प्रावधान करती है।
41-घ. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार
42. नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया
44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
45. सशस्त्र बलों (Armed Forces) के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण
46. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी
49. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको भागने से रोकने के लिये आवश्यक हो।
50. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दिया जाना
50-क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता
53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सक द्वारा अभियुक्त की परीक्षा
53-क. बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षा
54. गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा
54-क. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त
57. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।
58. गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण (न्यायालय के समक्ष) एवं ज्ञापन आवश्यकताएँ
63. निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील
64. जब समन किये गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील
68. ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत
70. गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि
81. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए
82. फरार व्यक्ति के (हाजिर होने) के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है।
83. फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की
84. कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ
85. कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना
86. कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने के लिए अपील
87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना
88. हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति
91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन
92. पत्रों और तारों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
93. तलाशी-वारण्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया
97. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी (बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट)
103. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है

104. पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति
106. दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
107. अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (Security)
108. राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित
109. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
110. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
125. पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश
126. प्रक्रिया
127. भत्ते में परिवर्तन
129. सिविल के बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना
131. जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति
133. न्यूसेन्स (उपद्रव दूर करने के लिए) हटाने के लिए सशर्त आदेश
144. न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट
145. जहाँ भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, वहाँ प्रक्रिया
146. विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
149. पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना
150. संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की इत्तिला
151. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी
153. बाटों और मापों का निरीक्षण
154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला
155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
156.(3) किसी घटना के प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष जाँच करवाने का अधिकार के सम्बन्ध मजिस्ट्रेट की शक्ति
157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया
159. अन्वेषण या प्रारम्भिक जाँच करने की शक्ति
160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
161. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा
162. पुलिस से किये गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जानाः कथनों का साक्ष्य में उपयोग
164. संस्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा।
164-क. बलात्कार के शिकार हुए पीड़ित की शारीरिक परीक्षा
166. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी-वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है।
166-क. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्रधिकारी को अनुरोध-पत्र
166-ख. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र
167. जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया
171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना
172. अन्वेषण (Investigation) में कार्यवाहियों की डायरी (केस डायरी) से सम्बन्धित है।
173. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया
धारा 173. जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना
177. जाँच और विचारण का मामूली स्थान
182. पत्रों, आदि द्वारा किये गए अपराध
183. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध
186. सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जाँच या विचारण होगा
188. भारत से बाहर किया गया अपराध
190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
195. लोक-न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिये गए दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन।
195-क. धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया
196. राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यन्त्र के लिए अभियोजन
197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन
198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन
198-क. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराधों का अभियोजन
199. मानहानि के लिए अभियोजन
200. परिवादी की परीक्षा एवं मजिस्ट्रेट से आपरधिक शिकायत
206. छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन
207. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना
209. जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना
211. आरोप की अन्तर्वस्तु
227. उन्मोचन
228. आरोप विरचित करना
232. दोषमुक्ति
235. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
236. पूर्व-दोषसिद्धि
248. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
250. उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर
255. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
259. समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति
260. संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति
261. द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण
262. संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया
262(2). एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है।
271. कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति

280. साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ
297. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा
298. पूर्व-दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए
300. एक बार दोषसिद्धि या दोषमुक्त किये गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
304. कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता
306. सह-अपराधी को क्षमादान
307. क्षमादान का निदेश की शक्ति
309. कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति
311. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति
313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति
315. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना
320. अपराधों का शमन
321. अभियोजन वापस लेना
323. प्रक्रिया जब जाँच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए
325. प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता
353. निर्णय
354. निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु
357-क. पीड़ित प्रतिकर योजना से सम्बन्धित (क्षतिपूर्ति)
357-ख. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326-क या धारा 376-घ के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त
357-ग. पीड़ितों का उपचार
358. निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर
359. असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश
360. असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश
360. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश
366. सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना
366-ख. विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित
367. अतिरिक्त जाँच किये जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
368. दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
372. जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना
373. परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील
374. दोषसिद्धि से अपील
375. बलात्कार (Rape) से संबंधित है। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना
376. छोटे मामलों में अपील न होना
377. राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील
378. दोषमुक्ति की दशा में अपील
379. कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने के विरुद्ध अपील
380. कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार
383. जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया
384. अपील का प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना
386. अपील न्यायालय की शक्तियाँ
388. अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना
389. अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन- अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना
391. अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा
393. अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना
394. अपीलों का उपशमन
395. उच्च न्यायालय को निर्देश
397. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मँगाना
399. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
406. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
407. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
408. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति
414. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन
416. गर्भवती स्त्री को मृत्यु दण्ड का मुल्तवी किया जाना
432. दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति राज्य (जेल प्रशासन) द्वारा माफी पर रिहा करने की शक्ति
433. दण्डादेशों के लघुकरण की शक्ति
436. किन मामलों में जमानत ली जाएगी
436-क. अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है
437. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी
438. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश
439. जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ

नोट—(1) भारत में अपराध रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। N.C.R.B. एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक एजेन्सी है।

(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 से प्रशासित होता है

(3) आजीवन कारावास की सजा को सरकार 20 वर्ष से कम नहीं कर सकती।

446-क. बन्धपत्र जमानतपत्र का रद्दकरण
459. विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति
460. वे अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं
461. वे अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं
468. परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
469. परिसीमा-काल का प्रारम्भ
477. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति
479. वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है

482. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

CRPC 1973 की कुछ महत्वपूर्ण धारायें

41. B. गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य

41. D. के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते हैं, तो परिप्रश्नों के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, परन्तु पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं।

46. गिरफ्तारी कैसे की जायेगी/होगी

51. गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी

52. विस्फोटक आयुध का अभिग्रहण–गिरफ्तार व्यक्ति के पास यदि कोई विस्फोटक आयुध पाये जाते हैं तो उन्हें अभिग्रहित करने का प्रावधान है।

55 A. इसके अनुसार अभियुक्त की अभिरक्षा लेने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देख–रेख करे।

58. इस धारा के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, अपने–अपने थाने की सीमाओं के भीतर वारण्ट के बिना गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट करेंगे चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ली गई हो।

106 से 124. ये धारायें दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में 'परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति' शीर्षक से दी गई हैं, जिसमें 107/116 धारा परिशान्ति के भंग होने की दशा में लागू होती है। धारा 107 के अनुसार, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि सम्भाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशन्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा संदोष कार्य कारित करेगा, जिससे सम्भवतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोकप्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब वह मजिस्ट्रेट यदि उसकी राय में कार्यवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशान्ति कायम रखने के लिए उसे (प्रतिभुओं सहित या रहित) बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाये।

108. राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।

109. संदिग्ध और आवारा गर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति।

133. सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।

144. यह धारा शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिलाधिकारी एक अधिसूचना जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहाँ चार या उससे ज्यादा लोग इकटठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने–ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। धारा–144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पान नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा–107 या फिर धारा–151 के अनुक्रम में की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

151. यह धारा अध्याय 11 में पुलिस ''की निवारक शक्ति से सम्बन्धित है। यह धारा संज्ञेय अपराधों के किये जाने से रोकने हेतु गिरफ्तार कर अपराध की गम्भीरता को रोकती है और पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है।

154. यह धारा संज्ञेय मामलों में इत्तिला से सम्बन्धित है। इसके अनुसार– CRPC 1973 की धारा 357 पीड़ित मुआवजा योजना से सम्बन्धित है।

संज्ञेय अपराध किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक इत्तिला (सूचना) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई हो तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी ओर इत्तिला (सूचना) देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला (सूचना) पर चाहे वह लिखित रूप में दी गयी हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गयी हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्टि किया जायेगा।

इस कानून में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

1. किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा _____ सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है।

(A) इलाके का दौरा कर रहे किसी भी वी.आई. पी. की सेवा में

(B) अवैध रूप से निर्मित किसी भी सम्पत्ति को नष्ट करने में

(C) प्रवासियों को आवास की सुविधा प्रदान करने में

(D) शान्ति–भंग की रोकथाम में

2. उपयुक्त सरकार, सामाजिक प्रभाव आकलन करने में छूट दे सकती है यदि भूमि को ..... के तहत अत्यावश्यक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है।

(A) धारा 5 (B) धारा 10

(C) धारा 8 (D) धारा 40

3. दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला जल्दबाजी वाला और तापरवाहीपूर्ण कार्य, जिसके परिणामस्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ, ...है।

(A) अपराध नहीं (B) दंडनीय नहीं

(C) दंडनीय (D) क्षम्य

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय ....कारावास की सजा दे सकता है।
(A) अधिकतम तीन वर्ष के
(B) अधिकतम दो वर्ष के
(C) अधिकतम दस वर्ष के
(D) अधिकतम सात वर्ष के

5. चोरी की सम्पत्ति में आदतन सौदा करने का अपराध _____ है।
(A) असंज्ञेय और गैर जमानती
(B) संज्ञेय और जमानती
(C) असंज्ञेय और जमानती
(D) संज्ञेय और गैर जमानती

6. जिला मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा _____ के तहत उपद्रव दूर करने के लिए सशर्त आदेश दे सकता है।
(A) 133 (B) 132
(C) 144 (D) 145

7. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश, _____ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।
(A) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1906
(B) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(C) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
(D) भारतीय दण्ड संहिता, 1860

8. _____ के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा था।
(A) राम नन्दन **बनाम** राज्य
(B) एडीएम जबलपुर **बनाम** एस. शुक्ला
(C) केदार नाथ सिंह **बनाम** बिहार राज्य
(D) के.टी. मूपिल नायर **बनाम** केरल राज्य

9. गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है ?
(A) 3 महीने (B) 1 वर्ष
(C) 3 वर्ष (D) 6 महीने

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को .....के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
(A) सगीर अहमद *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य
(B) मिठू *बनाम* पंजाब राज्य
(C) डी.के. बसु *बनाम* पश्चिम बंगाल राज्य
(D) सेल्वी *बनाम* कर्नाटक राज्य

11. संगरोध (क्वारंटाइन) नियम की अवज्ञा के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि..... ... महीने के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
(A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 6

12. जो कोई द्वेषभाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है, उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जो.....वर्ष तक बढ़ सकती है।
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 5

13. प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, उपयुक्त सरकार इस अवधि को ..... की अवधि में परिवर्तित कर सकती है।
(A) चौदह वर्ष से अधिक नहीं
(B) कम से कम सात वर्ष
(C) बीस वर्ष से कम नहीं
(D) दस वर्ष

14. सी.आर.पी.सी. की धारा _____ के तहत एक कार्यकारी दण्डाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है।
(A) 40 (B) 34
(C) 44 (D) 30

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन मानते हुए, _____ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
(A) जोसेफ शाइन **बनाम** भारत संघ
(B) फहीमा शिरीन **बनाम** केरल राज्य
(C) शफीन जहां **बनाम** अशोकन के.एम.
(D) कॉमन कॉज एक पंजीकृत संस्था **बनाम** भारत संघ

16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वर्ष ..... में पारित किया गया था।
(A) 1955 (B) 1988
(C) 1986 (D) 1950

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण–पोषण का आदेश ..... पर लागू नहीं होगा।
(A) पत्नी
(B) व्यभिचारिणी पत्नी
(C) माता–पिता
(D) बच्चे

18. ''सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं''। इसकी प्रत्याभूति (गारंटी).....के तहत दी गई थी।
(A) मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र
(B) संयुक्त राष्ट्र चार्टर
(C) मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन
(D) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

19. जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है, उसे आईपीसी के तहत _____ से दण्डित किया जाता है।
(A) ₹ 500 तक के जुर्माने
(B) ₹ 1000 तक के जुर्माने
(C) 6 महीने तक की कैद
(D) 3 महीने तक की कैद

20. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पलायन को रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान ..... के अंतर्गत आता है।
(A) भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(2)
(B) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10
(C) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46
(D) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 49

21. जब कारावास की अवधि तीन महीने से कम हो, तब एकांत केन्द्र की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में.....से अधिक नहीं होगा।।
(A) एक समय पर तीन दिन
(B) एक समय पर सात दिन
(C) एक समय पर चौदह दिन
(D) एक समय पर एक माह

22. सी.आर.पी.सी.की धारा.....के तहत एक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है।
(A) 190 (B) 200
(C) 170 (D) 180

23. पीड़ित प्रतिकर स्कीम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के.....सिद्धान्त का एक प्रकार है।
(A) क्षतिपूर्ति (B) निवारणार्थ
(C) निवारक (D) प्रतिकारात्मक

24. यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा.....है।
(A) 10 सालों तक के लिए साधारण कारावास
(B) 14 सालों तक के लिए साधारण कारावास
(C) 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास
(D) 10 सालों तक के लिए कठोर कारावास

25. स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा .....के तहत एक दंडनीय अपराध है।

(A) धारा 228-A (B) धारा 326-A
(C) धारा 376-A (D) धारा 292-B

26. वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था। इसे.....कहा जाता है।
(A) लिंक विश्लेषण
(B) डेटा क्लोनिंग
(C) कालानुक्रमिक प्रलेखन (चेन ऑफ कस्टर्ड)
(D) पुनरावर्ती खोज

27. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जाँच की शक्ति का उपयोग.....द्वारा किया जा सकता है।
(A) एक मजिस्ट्रेट
(B) सर्वोच्च न्यायालय
(C) एक सत्र न्यायाधीश
(D) उच्च न्यायालय

28. सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किये गये एक व्यक्ति को.....दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है।
(A) 4 (B) 5
(C) 2 (D) 3

29. जब.....व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं, तब आईपीसी के तहत इसे ..... डकैती की घटना मानी जाती है।
(A) 3 या अधिक (B) 5 या अधिक
(C) 4 या अधिक (D) 7 या अधिक

30. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा अपराध 'राजद्रोह' को परिभाषित करती है?
(A) धारा 171B (B) धारा 268
(C) धारा 229A (D) धारा 124A

31. ''लोक सेवक'' शब्द की परिभाषा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की.....के तहत की गई है।
(A) धारा 17 (B) धारा 24
(C) धारा 21 (D) धारा 32

32. सीआर.पी.सी. की धारा 50-A के तहत, अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और परिरोध के स्थान के बारे में ..... को सूचित किया जाना चाहिए।
(a) उसके किसी मित्र
(b) रिश्तेदारों
(c) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए या नामांकित व्यक्ति
(A) a या b या c
(B) b या c
(C) b और c
(D) a, b और c

33. यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.), दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है जो _____ तक बढ़ सकता है।
(A) 7 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 1 वर्ष (D) 2 वर्ष

34. पुलिस द्वारा तैयार किये जाने वाले लिखित दस्तावेज एफ.आई.आर. (FIR) का पूर्ण रूप क्या है?
(A) फर्स्ट इन्क्वायरी रिपोर्ट
(B) फर्स्ट इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट
(C) फर्स्ट इन्टेरोगेशन रिपोर्ट
(D) फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट

35. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ... के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 497 को हटाते हुए, व्यभिचार को अपराध मुक्त किया।
(A) फ़ज़ल रब चौधरी *बनाम* बिहार राज्य
(B) जोसेफ शाइन *बनाम* भारत संघ
(C) नंदिनी सुंदर *बनाम* छत्तीसगढ़ राज्य
(D) नितिन वालिया *बनाम* भारत संघ

36. एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी .....का दोषी होगा।
(A) अपगमन
(B) अनधिकृत कारावास
(C) धमकी
(D) अपहरण

37. प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध ..... है।
(A) असंज्ञेय और जमानती
(B) असंज्ञोय और गैर–जमानती
(C) संज्ञेय और गैर–जमानती
(D) संज्ञेय और जमानती

38. एक मामला, जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वॉरंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे ..... कहा जाता है।
(A) सामन्स मामला
(B) वॉरंट मामला
(C) पहली अनुसूची का मामला
(D) संज्ञेय मामला

39. सजा की अवधि की समय–सीमाओं की गणना में, आजीवन कारावास को ..... के बराबर माना जाएगा।
(A) पच्चीस वर्ष का कारावास
(B) बीस वर्ष का कारावास
(C) पंद्रह वर्ष का कारावास
(D) दस वर्ष का कारावास

40. किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जालसाजी का अपराध .....होता है।
(A) असंज्ञेय और गैर–जमानती
(B) संक्षेय और गैर–जमानती
(C) संज्ञेय और जमानती
(D) असंज्ञेय और जमानती

41. निम्नलिखित में से कौन–सा एक अपराध है, जिसे चार चरणों में दण्डनीय माना गया है?
(A) लूटमार (B) बलात्कार
(C) हत्या (D) डैकती

42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा.....के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मैजिस्ट्रेट को प्राप्त है।
(A) धारा 125 (B) धारा 313
(C) धारा 437 (D) धारा 133

43. जानबूझकर अपराध करने के लिए व्यक्ति की मदद करने के कार्य को.....कहा जाता है।
(A) जानबूझकर दुर्व्यपदेशन
(B) दूसरी डिग्री का अपराध
(C) तीसरी डिग्री का अपराध
(D) दुष्प्रेरण

44. जो कोई भी ..... से कम आयु के पुरुष को बहकाता है, उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है।
(A) 18 (B) 17
(C) 15 (D) 16

45. विशेष परिस्थितियों में, निरुद्ध के किए गए एक व्यक्ति को ..... दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या हैं?
(A) 20 (B) 15
(C) 30 (D) 10

46. दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की निम्नलिखित धाराओं से कौन–सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है?
(A) धारा 437A (B) धारा 280A
(C) धारा 287D (D) धारा 357A

47. आईपीसी के अनुसार एक ठग को ..... का दंड दिया जाएगा।
(A) जुर्माने
(B) 3 महीने तक की कैद
(C) आजीवन कारावास और जुर्माने
(D) 6 महिने तक की कैद

48. सी.आर.पी.सी. की धारा ..... के अनुसार, एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफ.आई.आर. तैयार करना।

(A) 154 (B) 134

(C) 174 (D) 164

49. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है?

(A) चोरी

(B) बलात्कार

(C) दंगा

(D) हत्या का प्रयास

50. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा ''पुलिस द्वारा गवाहों की तहकीकात'' से संबंधित है?

(A) सीआरपीसी की धारा 96

(B) सीआरपीसी की धारा 38

(C) सीआरपीसी की धारा 14

(D) सीआरपीसी की धारा 161

51. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर .... का भाग बनाया गया है।

(A) दण्ड प्रक्रिया संहिता

(B) सिविल प्रक्रिया

(C) भारतीय दंड संहिता

(D) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

52. निम्नलिखित में से अपराधी को कौन–सा दंड देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धान्त 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की स्थापना की गई थी?

(A) रासायनिक बधियाकरण

(B) एकान्त कारावास

(C) आजीवन कारावास

(D) मृत्यु दंड

53. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा "शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किसी की मृत्यु कारित करने तक होता है" से संबंधित है ?

(A) IPC 100 (B) IPC 498A

(C) IPC 72 (D) IPC 304 B

54. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दाखिल करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में निर्धारित है?

(A) 173, दंड प्रक्रिया संहिता

(B) 197, दंड प्रक्रिया संहिता

(C) 154 दंड प्रक्रिया संहिता

(D) 163, दंड प्रक्रिया संहिता

55. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा 'दहेज हत्या' को परिभाषित करती है?

(A) भारतीय दंड संहिता की 120-B

(B) भारतीय दंड संहिता की 427

(C) भारतीय दंड संहिता की 130

(D) भारतीय दंड संहिता की 304-B

56. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा, महिलाओं के प्रति क्रूरता के संदर्भ में 'क्रूरता' शब्द की व्याख्या करती है ?

(A) भारतीय दंड संहिता की 186

(B) भारतीय दंड संहिता की 260-B

(C) भारतीय दंड संहिता की 498-A

(D) भारतीय दंड संहिता की 129-B

57. ''जाँच अधिकारी का पहला कदम केस डायरी में दर्ज करना होना चाहिए'', यह दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लिखित है?

(A) धारा 172 (B) धारा 201

(C) धारा 198 (D) धारा 163

58. जेल प्रशासन में सजा में कमी को ..... कहा जाता है।

(A) अस्थायी छुट्टी

(B) पैरोल

(C) माफी

(D) असामयिक रिहाई

59. निम्नलिखित में से कौन–सा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है ?

(A) दहेज हत्या

(B) बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना

(C) हत्या के साथ डकैती

(D) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना

60. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है?

(A) धारा 376 IPC

(B) धारा 147, IPC

(C) धारा 140, IPC

(D) धारा 144, IPC

61. "दहेज हत्या" को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है?

(A) IPC की धारा 309–C

(B) IPC की धारा 123–F

(C) IPC की धारा 104–D

(D) IPC की धारा 304–B

62. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से कौन–सी धारा "स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग" से सम्बन्धित है?

(A) सीआर.पी.सी. की धारा 178

(B) सीआर.पी.सी. की धारा 134

(C) सी.आर.पी.सी. की धारा 164

(D) सी.आर.पी.सी. की धारा 109

63. ''पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच पूरी होने पर अदालत को प्रस्तुत किया जाने वाला अंतिम फॉर्म/रिपोर्ट'' (IF5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है?

(A) दंड प्रक्रिया संहिता 179

(B) दंड प्रक्रिया संहिता 182

(C) दंड प्रक्रिया संहिता 173

(D) दंड प्रक्रिया संहिता 193

64. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत, गिरफ्तारी/न्यायालय में आत्मसमर्पण ज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा करता है?

(A) 107 सी.आर.पी.सी.

(B) 95 सी.आर.पी.सी.

(C) 67 सी.आर.पी.सी.

(D) 58 सी.आर.पी.सी.

65. पुलिस प्रणाली में, FIR का पूर्ण रूप क्या है?

(A) फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट

(B) फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट

(C) फर्स्ट इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट

(D) फर्स्ट इंडियन रीजन

66. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है?

(A) चोरी (B) बलात्कार

(C) दंगा (D) हत्या का प्रयास

67. "भारत में अपराध" रिपोर्ट ..... द्वारा जारी होती है।

(A) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(B) भारत की जनगणना

(C) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(D) भारत का आर्थिक सर्वेक्षण

68. सी.आर.पी.सी. की धारा 145 के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी), पक्षों का एक विवादित अचल संपत्ति के सदंर्भ में अपना दावा लिख कर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है .....।

(a) यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है

(b) यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिलहैं

(c) यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है

(A) (b)

(B) (b) और (c)

(C) (a)

(D) (a), (b) और (c)

69. पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया 'FIR/एफ.आई.आर.' का पूर्ण रूप क्या है?
(A) फाइनल इनफॉर्मेशन रिपोर्ट
(B) फोर्स इनफॉर्मेशन रजिस्टर
(C) फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट
(D) फॉर्मल इनफॉर्मेशन रिपोर्ट

70. सी.आर.पी.सी. 'धारा 157' के तहत, एफ.आई.आर. की मूल प्रति बिना विलंब किए ..... को भेजी जानी चाहिए।
(A) पुलिस आयुक्त
(B) मुख्य सचिव
(C) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(D) न्यायाधिकार प्राप्त दंडाधिकारी

71. ''गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, जितना उसको भगाने से रोकने के लिए आवश्यक है'', यह निम्नलिखित में से किस धारा के अन्तर्गत आता है?
(A) सीआरपीसी की धारा 87
(B) सीआरपीसी की धारा 56
(C) सीआरपीसी की धारा 94
(D) सीआरपीसी की धारा 49

72. भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुँचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है ?
(A) अननुमोदन के (B) संज्ञान के
(C) बेईमानी के (D) कलह के

73. भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 53 किस विषय के सम्बन्ध में है ?
(A) आपराधिक साजिश
(B) बहकाव
(C) सामान्य अपवाद
(D) दण्ड

74. भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित हैं ?
(a) सिंगापुर (b) बुनेई
(c) श्रीलंका
(A) a, b और c (B) a और b
(C) a और c (D) b और c

75. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन–सा सही होगा ?
(i) A एक छड़ी से Z को पचास बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है, तो A को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा।
(ii) जब A, Z को मार रहा है, तो Y हस्तक्षेप करता है और A जानबूझकर Y को भी मारता है। A, Z को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए एक सजा के लिए और Y मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है।
(A) (i) और (ii) दोनों
(B) केवल (i)
(C) केवल (ii)
(D) (i) और (ii) दोनों में से कोई नहीं

76. भारतीय दंड संहिता की धारा 405-409 किस विषय से संबंधित है ?
(A) आपराधिक न्यास भंग
(B) शरारत
(C) जबरन वसूली
(D) छल

77. भारतीय दंड संहिता की धारा 415-420 का संबंध किससे है ?
(A) शरारत
(B) आपराधिक विश्वा भंग
(C) धोखाधड़ी
(D) जबरन वसूली

78. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन–सा निष्कर्ष सही है ?
(i) A, B के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान, A बिना किसी बुरी मंशा से, B को बुरी तरह घायल कर देता है। A ने अपराध किया है।
(ii) P एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से लिया था। उस मादक पदार्थ के नशे में, यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, P ने Q की हत्या कर दी। P ने कोई अपराध नहीं किया है।
(A) (i) और (ii) दोनों
(B) केवल (ii)
(C) (i) और (ii) दोनों ही नहीं
(D) केवल (i)

79. भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है "सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को बीस साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा"–
(A) धारा 57 (B) धारा 63
(C) धारा 51 (D) धारा 47

80. भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा वक्तव्य सही है ?
(a) भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी 'अपराध' को करने के लिए "केवल राजी हो जाना" ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है।
(b) भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है।
(A) केवल a
(B) a और b दोनों ही नहीं
(C) a और b दोनों
(D) केवल b

81. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है ?
(A) खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
(B) हत्या का प्रयास
(C) अप्राकृतिक अपराध
(D) अनुचित निरोध और अनुचित बंधन

82. भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन–सा निष्कर्ष सही है ?
(i) 6 वर्ष के एक बच्चे, A ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चे B को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। A ने कोई अपराध नहीं किया है।
(ii) Q ने P को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में, यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, P ने R की हत्या कर दी। P ने कोई अपराध नहीं किया है।
(A) केवल (i)
(B) (i) और (ii) दोनों
(C) केवल (ii)
(D) (i) और (ii) दोनों ही नहीं

83. ..... मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी, अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है।
(A) समथा, आंध्र प्रदेश राज्य
(B) लिली थॉमस *बनाम* भारत संघ
(C) श्रेया सिंघम *बनाम* भारत संघ
(D) सरला मुदगल *बनाम* भारत संघ

84. इनमें से कौन–से अपराध के मूलभूत तत्व हैं ?
(P) इंसान द्वारा किए गए
(Q) आपराधिक इरादा

(R) कोई अवैध कार्य या चूक

(S) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति को चोट पहुँचाना

(A) P, Q, R और S सभी

(B) केवल P और Q

(C) केवल P, Q और S

(D) केवल P और R

85. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 B के अंतर्गत, "दहेज मौत" के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है ?

(A) 3 वर्ष (B) 7 वर्ष

(C) 5 वर्ष (D) 12 वर्ष

86. भारतीय दंड संहिता की धारा 377..... के विषय में है।

(A) सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध

(B) अप्राकृतिक अपराध

(C) हत्या का प्रयास

(D) खतरनाक हथियारों का उपयोग कर, स्वेच्छा से चोट पहुँचाने

87. मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण–पोषण के लिए धन माँगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परन्तु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिये गये थे।

(A) शायरा बानो (B) शबनम हाशमी

(C) शाह बानो (D) आयेशा बीबी

88. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (x) के अनुसार वारंट मामला वह होता है, जो एक ऐसे अपराध से सम्बन्धित है, जिसकी सज़ा मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा ..... वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है।

(A) दस (B) दो

(C) तीन (D) सात

89. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 146 के अनुसार, जब भी गैर–कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य ..... के अपराध का दोषी होता है।

(A) विद्रोह (राजद्रोह) (B) बलवा

(C) आतंक (D) पीछा करने

90. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदण्ड दिया जा सकता है ?

(a) धारा 121 : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा

(b) धारा 364A : फिरौती के लिए व्यपहरण

(A) a और b दोनों

(B) केवल a

(C) केवल b

(D) a और b दोनों ही नहीं

91. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 ..... के विषय में है।

(A) हत्या करने का प्रयास

(B) बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध

(C) अप्राकृतिक अपराध

(D) खतरनाक हथियारों का उपयोग कर, स्वेच्छा से चोट पहुँचाना

92. निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत मृत्यु दण्ड सम्भावित है ?

(a) धारा 122 : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना

(b) 194 : ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड हो सके (जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदण्ड दे दिया जाए)

(A) सिर्फ (a)

(B) (a) और (b), दोनों ही नहीं

(C) सिर्फ (b)

(D) (a) और (b) दोनों

93. राज्यसभा ने 8 अगस्त, 2016 को 'मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक' को पारित करके कौन-से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया ?

(A) विद्युत–आक्षेपात्मक चिकित्सा

(B) आत्महत्या के प्रयास का अपराध

(C) स्टेरॉयड, माँसपेशी शिथिलक और संज्ञा-हरण का उपयोग

(D) विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा अपराध

94. राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ ₹ 40 का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर, आईपीसी की धारा 67 के अनुसार; उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम .... महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है।

(A) 4 (B) 6

(C) 2 (D) 1

95. किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्यु–दण्ड दिया जाना चाहिए ?

(A) पी.ए. इनामदार *बनाम* महाराष्ट्र राज्य

(B) मिट्ठू *बनाम* पंजाब राज्य

(C) ए.डी.एम. जबलपुर *बनाम* एस शुक्ला

(D) श्रेया सिंघल *बनाम* भारत संघ

96. भारतीय दंड संहिता का कौन–सा अध्याय "वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने" के लिए जुर्माने से संबंधित है ?

(A) अध्याय XIV (B) अध्याय XXIV

(C) अध्याय XXVII (D) अध्याय XVI

97. जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए, सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, तो उसे 'बलवा करना' कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा ?

(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 2

उत्तरमाला

1. (D)	**2.** (D)	**3.** (C)	**4.** (D)	**5.** (D)
6. (A)	**7.** (C)	**8.** (C)	**9.** (B)	**10.** (B)
11. (D)	**12.** (D)	**13.** (A)	**14.** (C)	**15.** (A)
16. (B)	**17.** (B)	**18.** (A)	**19.** (A)	**20.** (D)
21. (C)	**22.** (B)	**23.** (A)	**24.** (C)	**25.** (B)
26. (C)	**27.** (A)	**28.** (B)	**29.** (B)	**30.** (D)
31. (C)	**32.** (A)	**33.** (C)	**34.** (D)	**35.** (B)
36. (B)	**37.** (D)	**38.** (D)	**39.** (B)	**40.** (C)
41. (D)	**42.** (D)	**43.** (D)	**44.** (D)	**45.** (B)
46. (D)	**47.** (C)	**48.** (A)	**49.** (D)	**50.** (D)
51. (A)	**52.** (D)	**53.** (A)	**54.** (C)	**55.** (D)
56. (C)	**57.** (A)	**58.** (C)	**59.** (A)	**60.** (A)
61. (D)	**62.** (C)	**63.** (C)	**64.** (D)	**65.** (A)
66. (D)	**67.** (C)	**68.** (C)	**69.** (C)	**70.** (D)
71. (D)	**72.** (C)	**73.** (D)	**74.** (A)	**75.** (C)
76. (A)	**77.** (C)	**78.** (C)	**79.** (A)	**80.** (C)
81. (B)	**82.** (B)	**83.** (D)	**84.** (A)	**85.** (B)
86. (B)	**87.** (C)	**88.** (B)	**89.** (B)	**90.** (A)
91. (B)	**92.** (C)	**93.** (B)	**94.** (C)	**95.** (B)
96. (A)	**97.** (C)			

●●